



UPFD010016192013

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं०- 17/2013

राज्यअभियोजनपक्ष

बनाम

- 1- कल्लू खाँ पुत्र अली मौहम्मद,
- 2- लल्ला बाबू पुत्र कल्लू खाँ,
- 3- महमूद खाँ पुत्र कल्लू खाँ,
- 4- चमन बाबू पुत्र हनीफ खाँ,

समस्त निवासीगण- नगला पार, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद।

.....अभियुक्तगण।

धारा- 323,504,506 भा०द०सं०

व धारा 3(1) 10, एस०सी०/एस०टी० एक्ट

थाना- नारखी, जिला- फिरोजाबाद।

अपराध संख्या- 290/2009,

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 290/2009 में अभियुक्तगण कल्लू खाँ, लल्ला बाबू, महमूद खाँ एवं चमन बाबू के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी उदयवीर सिंह, निवासी- नगला पार, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद (Informant) द्वारा पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को प्रार्थना पत्र दिनांकित 09-06-2009 प्रदर्शक-1 निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया है कि-

“निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थी गाँव नगला पार (उम्मरगढ़ / रामगढ़) का निवासी है मेरे गाँव में विद्युतीकरण हो रहा है जगह जगह लठठे पडे है उन लठठों के पीछे के पीछे कल्लू खाँ पुत्र अली मोहम्मद निवासी नगला पार वाद विवाद हो गया था। दिनांक 02.06.09 को सांय करीब 5 बजे कल्लू खाँ ने अपने पुत्र लल्लाबाबू व महमूद खाँ पुत्रगण कल्लू खाँ तथा उनके भतीजे चमनबाबू पुत्र हनीफ खाँ को बुलाकर कहा कि यह साले चमार ज्यादा बढ़ गये है, मुख्यमन्त्री भी चमरिया है, इनको सही करो। इतने पर उपरोक्त व्यक्ति मारने पीटने हेतु मेरे घर में जबरन घुसे चले आये और माँ बहिन की भददी भददी अश्लील गालियां दी व जाति सूचक शब्द कहते हुए मुझे पकड़ कर मारन- पीटने लगे व मेरी माँ रामश्री पत्नी श्री कासीराम उम्र करीब 75 वर्ष को भी मारा पीटा "जव मेरी भाभी शारदादेवी बचाने आयी तो उसको भी लात घूसों से काफी मारा पीटा और मारपीट कर मेरा मोवाइल नम्बर 9837268284 व एक घड़ी टाइटन कीमती 1100/- रूपया ले गये । मेरे शोर करने पर पडौस के फिरोज खाँ पुत्र श्री मुनीरखाँ, मानख पुत्र हवीवखा, देशापाल, विजय कुमारी, धर्मेन्द्र, वीरपाल, रामप्रसाद आदि लोगों ने घटना को देखा व सुना और हमें उपरेक्ति लोगों से बचाया उपरोक्त लोग जाते जाते यह एलानियाँ धमकी दे गये कि सालों आज तो तुम लोग बच गये हैं अबकी बार मौका लगा तो परिवार सहित जान से मार देंगे । और रही बात रिपोर्ट को तो थानाध्यक्ष नारखी से हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं हमारे घर आना जाना है तू हमारा कुछ कुछ भी नही विगाड़ सकता है। बडे अधिकारियों के पास जायेगा रिपोर्ट करने तो एप्लीकेशन लौट कर थाने आयेगी उसमें हम एफ. आर. लगवा देंगे हमारा क्या उखाड लेगा । प्रार्थी ने अपने व अपनी माँ के शरीर पर आयी हुई चोटों का डाक्टरी मुआयना द्वारा मजरूवी चिड्डी दिनांक 03.06.09 को कराया जो कि प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न है इसी क्रम में प्रार्थी एक प्रार्थनाप सहित श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय फिरोजाबाद से मिला उन्होंने थानाध्यक्ष नारखी को स्पष्ट आदेश किया "कृपया आप स्वयं मौके जाकर इस प्रकरण को देखे सत्यता पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही करें व कार्यवाही कर मुझे अवगत कराये। दिनांक 05-06-2009" किन्तु क्षेत्राधिकारी महोदय के आदेश के बावजूद भी थानाध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त मुल्जिमान के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया और प्रार्थी को यह कहकर कि जाति सूचक शब्द हटा दो तो मैं मुकदमा कायम करूंगा वरना नहीं करूंगा। प्रार्थी काफी भयभीत है। श्रीमान जी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

अतः श्रीमान जी से सानुरोध प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट उचित धाराओं में पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारी/किसी अन्य सक्षम

अधिकारी को आदेश प्रदान करने की कृपा करे, श्रीमान जी की महान कृपा होगी।"

3. उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना नारखी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 290/2009, अन्तर्गत धारा 394,452,506 भा०द०सं० व धारा 3(2)5, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांकित 09-06-2009 को प्रदर्श क-2 के रूप में अभियुक्तगण कल्लू खाँ, लल्ला बाबू, महमूद खाँ एवं चमन बाबू के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (G.D.) में गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रदर्श क-3 है।

4. विवेचना अग्रसारित करते हुए विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण कल्लू खाँ, लल्ला बाबू, महमूद खाँ एवं चमन बाबू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-6 प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण को नकले प्राप्त करायी गयी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्तगण कल्लू खाँ, लल्ला बाबू, महमूद खाँ एवं चमन बाबू के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323/34,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1) 10, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांक 24-07-2014 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 उदयवीर	वादी मुकदमा (Informant)/चोटिल
2	PW-2 वीरपाल सिंह	चोटिल/चश्मदीद साक्षी
3	PW- 3 कमलेश कुमार	चिक लेखक

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र/तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 2
3	जी०डी०	प्रदर्श क- 3
4	जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र	प्रदर्श क- 4
5	मेडिकल रिपोर्ट उदयवीर	प्रदर्श क- 5
6	मेडिकल रिपोर्ट रामश्री	प्रदर्श क- 6

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को गलत बताया। साक्षियों द्वारा झूठा बयान देना बताया तथा मुकदमा रंजिशन चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा (x) के प्रावधान के अनुसार- जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभिन्नस्त करेगा।

वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी और जुमाने से दण्डनीय होगा।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 उदयवीर को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मेरे गाँव में विद्युतीकरण हो रहा था। जगह-जगह लड्डे पड़े हुए थे। उन लड्डों के पीछे कल्लू काँ से वाद-विवाद हो गया था। दिनांक 02-06-2009 को शाम करीब 05.00 बजे कल्लू खाँ ने अपने पुत्र लल्ला बाबू, महमूद खाँ तथा भतीजे चमनबाबू को बुलाकर कहा कि साले चमार ज्यादा बढ गये हो। मुख्यमंत्री भी चमरिया है, इनको सही करो। इतने में ही सभी लोग मारने-पीटने के लिए मेर घर में जबरन घुस आये और आते ही माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी। जाति सूचक शब्द कहते हुए मुझे पकड़ लिया और मारने पीटने लगे। मेरी माँ रामश्री को भी मारापीटा। जब मेरी भाभी शारदा देवी बचाने आयी तो उनको भी लात, घूंसे से मारापीटा। मारपीट कर उक्त लोग मेरा मोबाइल और एक घड़ी ले गये। जब मैंने शोर किया तो पड़ोस के फिरोज खाँ, मान खाँ, देशपाल, विजय कुमारी, धर्मेन्द्र, वीरपाल, रामप्रसाद आदि लोग आ गये, जिन्होंने घटना देखी और मुझे बचाया। जाते समय उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी दे गये और उपरोक्त लोगों ने कहा कि थानाध्यक्ष नारखी से हमारे अच्छे सम्बन्ध है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हम इसमें एफ०आर० लगवा देंगे। मैं घटना कि रिपोर्ट कराने थाने गया लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। क्षेत्राधिकारी के आदेश के बावजूद भी थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मैं एस०पी० महोदय फिरोजाबाद के यहां गया था उनके आदेश से थाने में मुकदमा पंजीकृत किया था। मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया था और अपनी माँ का भी सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद में डाक्टरी मुआयना कराया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 4 अ/2 तहरीर मैंने कायम करायी थी जिस पर मैंने अफने हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर **प्रदर्श क-1** डाला गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 वीरपाल सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं जाटव जाति का हूँ। मुल्जिमान मुसलमान हैं। मैं मजदूरी करता हूँ। घटना कितने साल पुरानी है मुझे नहीं पता है। उदयवीर के साथ कल्लू खाँ, लल्ला बाबू, चमन, महमूद खाँ ने मारपीट की थी। मारपीट हाथ, थप्पड़, घूसा से की थी। जब मारपीट की थी तब मैं कितने साल का था नहीं जानता हूँ और उदयवीर से कहा था कि जब से चमरिया मुख्यमंत्री हुई है तब से चमरा ज्यादा बन रहा है। मारपीट मैंने अपनी आंखों से देखी है।"

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 3 उपनिरीक्षक कमलेश कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डब्लू० 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 09-06-2009 को थाना नारखी पर बतौर हैड मोहर्नरि के पद तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा उदयवीर सिंह पुत्र काशीराम जाटव निवासी नगला पार थाना नारखी जिला फिरोजाबाद की शिकायती प्रार्थना पत्र डाक द्वारा प्राप्त हुआ। जिस पर एस०ओ० के आदेश से मेरे द्वारा मु०अ०सं० 290/2009, धारा 394,452,506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम कल्लू खँ आदि चार नफर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं० 4 अ/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस चिक प्रथम सूचना पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। जिसका खुलासा मैंने रोजनामचाआम में उसी दिन किया था, जो कि पत्रावली पर कागज सं० 88/9 है। असल जी०डी० नष्ट हो चुकी है। जिसका प्रमाण पत्र साथ लाया हूँ। जी०डी० को मैं प्रमाणित करता हूँ। जी०डी० पर प्रदर्श क-3 व जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र पर प्रदर्श क- 4 अंकित किया गया।"

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 02-06-2009 को समय लगभग 17.00 बजे स्थान वादी का घर स्थित नगला पार, थाना नारखी पर अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा एवं उसकी माता व भाभी को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ? क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा व उसके परिजन को साशय गालियां देकर प्रकोपित किया ? क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया ? क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने वादी को जाति सूचक शब्द 'चमार' कहकर अपमानित किया ?

12. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09-06-2009 को समय 23.35 बजे अर्थात् 11.35 बजे थाना नारखी पर पंजीकृत की गयी है। घटना दिनांक 02-06-2009 को समय 17.00 बजे की है। तहरीर प्रदर्श क-1 दिनांकित 09-06-2009 वादी उदयवीर सिंह पी०डब्लू० 1 द्वारा पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की गयी है, जिस पर थानाध्यक्ष नारखी ने गुण-दोष के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिये। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी के गाँव में विद्युतीकरण हो

रहा था। जगह-जगह लट्टे पड़े थे। उन्हीं लट्टों के पीछे कल्लू खाँ पुत्र अली मौहम्मद, निवासी नगला पार, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद से वाद-विवाद हो गया था। दिनांक 02-06-2009 को शाम लगभग 05.00 बजे कल्लू खाँ ने अपने पुत्र लल्ला बाबू व महमूद खाँ व भतीजे चमनबाबू को बुलाकर लाये और कहा कि साले चमार ज्यादा बढ़ गये हैं। मुख्यमंत्री भी चमरिया है, इनको सही करो। इतने पर उक्त लोग मारने-पीटने लगे। माँ-बहन की अश्लील गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहे। माँ रामश्री बचाने आयी तो उनको भी मारापीटा। भाभी शारदा देवी बचाने आई तो उनको भी मारापीटा। मोबाइल और घड़ी भई ले गये। शोर मचाने पर पड़ोस फिरोज खाँ, मान खाँ, देशपाल, विजय कुमारी, धर्मेन्द्र, वीरपाल, रामप्रसाद आदि लोग आ गये। घटना को देखा व बचाया। जाते समय उक्त लोग धमकी दे गये कि आज तो बच गये हो, मौका मिला तो परिवार सहित जान से मार देंगे। वादी ने अपना और अपनी माँ के शरीर पर चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया। डाक्टरी मुआयना दिनांक 03-06-2009 को कराया गया।

वादी पी०डब्लू० 1 उदयवीर सिंह का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 03-06-2009 को SNM जिला अस्पताल फिरोजाबाद में डा० आर०बी० सिंह द्वारा किया गया। मेडिकल रिपोर्ट निम्नवत है-

Examined Udaivir Singh age about 35 years. S/O Kashiram, Nagla par, Ps Narkhi, District Firozabad. On 03-06-2009 at 06.00 PM sy SNM Hospital Firozabad.

B/B- Self.

M.I.- A B.M. over front of lt side chest 8cm below laterd and of lt clauicle.

Injuries-

1- Abrasion 0.5X0.5cm over lt side of forehead 1cm above laterd end of lt eye brow colour redish brown.

2- Contusion 4cmX4cm over back of lower part of lt side chest.

3- Contusion 3cmX2cm over mid part of of lt foot.

Opinion- All the injuries are simple and hard object.

Duration- About one day.

इसी प्रकार मजरूबी चिट्ठी के आधार पर वादी की माता रामश्री का मेडिकल परीक्षण दिनांक 03-06-2009 को ही समय 06.20 शाम को किया गया। मेडिकल रिपोर्ट निम्नवत है-

Examined- Ramshree age about 75 years. W/O Kashiram, Nagla par, Ps Narkhi, District Firozabad. On 03-06-2009 at 06.20 PM sy SNM Hospital Firozabad.

B/B- Udaivir (Son).

M.I.- A B.M. over rt side chin 2cm below rt angle of mouth.

Injuries-

1- Contusion 3cmX2cm over back of rt side chest just below scapula.

2- Contusion 2cmX2cm rt side forehead 3cm above mid part of rt eye brow.

Opinion- Both injuries are simple and caused by hard & blunt object.

Duration- About one day.

मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-5 है जिसमें अक्षर 'A' से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर अभियुक्तगण द्वारा वादी और उसकी माँ के साथ मारपीट, गाली-गलौज, जाति सूचक गालियां देने, घड़ी व मोबाइल छीनना बताया गया। घटना स्थल से मकान की दूरी 100 मीटर बताई गयी। अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 1 के रूप में वादी (Informant) उदयवीर सिंह** को परीक्षित किया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटनाक्रम का विस्तृत विवरण देते हुए घटना दिनांक 02-06-2009 की कहा। घटना वाले दिन गाँव में विद्युतीकरण हो रहा था। जगह-जगह लठ्ठे पड़े थे। इसी बात को लेकर अभियुक्त कल्लू खाँ से विवाद हो गया था। उसी समय कल्लू खाँ ने अपने पुत्रगण लल्ला खाँ, महमूद खाँ व भतीजे चमनबाबू को बुला लिया। उपरोक्त अभियुक्तगण ने कहा कि साले चमार ज्यादा बढ गये हो, मुख्यमंत्री भी चमारिया है इनको सही करो। इतने में ही सभई लोग मारपीट करने लगे। घर में जबरन घुसकर माँ-बहन की गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहे। मारपीट से बचाने के लिए वादी की माँ व भाभी आ गई तो उन्हें भी लात, घूसों से मारापीटा। शोर पर पड़ोस के फिरोज खाँ, मान खाँ, देशपाल, विजय कुमारी, धर्मन्द्र, वीरपाल, रामप्रसाद आद लोग आ गये जिन्होंने घटना देखी और वादी को बचाया। वादी ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में वादी ने कहा कि उसके गांव में जगह-जगह लठ्ठे पड़े थे। कल्लू खाँ से लठ्ठों के पीछे कुछ कहासुनी हो गयी थी। भीड़ इकट्ठी हो गयी थी, भीड़ में से किसी ने धक्का मार दिया और वादी गिर गया, जिससे चोट आई थी, किन्तु

न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियुक्तगण कल्लू खाँ, लल्ला बाबू, महमूद खाँ एवं चमन बाबू ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और ना ही घर पर आये। अभियुक्तगण ने कोई गाली-गलौज नहीं की और ना ही कोई लूटपाट किया था। जान से मारने की कोई धमकी नहीं दी थी। जाति सूचक शब्द भी नहीं कहे थे। वादी ने यह भी कहा कि मुझे अपमानित नहीं किया गया। तहरीर को टाइप करने से इंकार किया। जबकि पत्रावली पर जो तहरीर है वह टाइपशुदा है जो पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को सम्बोधित है। अग्रेतर कहा कि उसे तहरीर पढकर नहीं सुनाई गयी। केवल हस्ताक्षर किये थे। भीड़ में से किन-किन लोगों ने मारा था देख नहीं पाया था।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 वीरपाल ने भी अपने साक्ष्य में कहा कि मैं मजदूरी करता हूँ। घटना कितने साल पुरानी है जानकारी नहीं है। कितने बजे की घटना है यह भी याद नहीं है। अग्रेतर कहा कि उदयवीर के साथ कल्लू खाँ, लल्ला बाबू, महमूद खाँ व चमन बाबू ने मारपीट किया, लात, घूंसों से मारापीटा था। अभियुक्तगण ने यह भी कहा था कि जब से चमरिया मुख्यमंत्री हुई है तब से चमरा ज्यादा बन रहा है। मारपीट मैंने अपनी आखों से देखी थी। प्रति-परीक्षा में कहा कि घटना कितने बजे की है मुझे नहीं मालूम। किस तारीख की है यह भी नहीं मालूम। सुबह का समय था, दोपहर का समय था या शाम का समय था नहीं मालूम है। चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी। मैं रिपोर्ट करने वालों के साथ थाने गया था। तहरीर पुलिस ने लिखाई थी। तहरीर किसके हाथ की लिखी है नहीं पता। उदयवीर सिंह ने तहरीर नहीं लिखी थी। पुलिस वालों ने लिखवाई थी। मैंने तहरीर पढकर नहीं देखी थी। चोटें किन-किन को आई थी नहीं मालूम है। क्योंकि मैं संग नहीं गया था। अग्रेतर कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद सी०ओ० साहब व दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। अगर बयान लिखा है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। प्रति-परीक्षा में कहा कि घटना स्थल पर महमूद खाँ का मकान है। वहाँ पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के समय कितने लोग इकट्ठे हो गये थे नहीं पता है। साक्षी ने कहा कि मैंने नहीं देखा कि किसने किसको चोटें पहुँचाई थी। मेरे सामने किसी मुल्जिमान ने वादी को जान से मारने की धमकी नहीं दी और ना ही मारपीट किया। घटना होने के काफी देर बाद पहुंचने का कथन किया है। लोगों ने जो बताया था उसी उसी के आधार पर तहरीर लिखाई गयी थी। अग्रेतर कहा कि मुल्जिम को घटना स्थल पर नहीं देखा था।

पी०डब्लू० 3 कमलेश कुमार औपचारिक साक्षी हैं। जिन्होंने 09-06-2009 को हेड मौहरीर के पद पर रहते हुए उदयवीर की तहरीर के आधार पर एस०ओ० साहब के आदेश से मु०अ०सं० 290/2009, धारा 394,452,506 भा०द०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट

बनाम कल्लू खाँ आदि चार नफर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। चिक एफ०आई०आर० पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। उसकी प्रविष्टि उसी दिन की गयी थी। मूल जी०डी० विनष्ट हो चुकी है। जी०डी० पर प्रदर्श क-3 व जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया। अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और साक्षीगण के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना कथित रूप से दिनांक 02-06-2009 को शाम 05.00 बजे की है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09-06-2009 को पंजीकृत की गयी, लगभग 7 दिन का विलम्ब कारित किया गया है। सात दिन तक मुकदमा पंजीकृत न कराया जाने के बाबत अभियोजन द्वारा कोई यथोचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तहरीर प्रदर्श क-1 टाइपशुदा है, जबकि वादी ने तहरीर टाइप कराकर नहीं दिया है। लट्टे को लेकर विवाद था, किन्तु वादी ने अपनी प्रति-परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ न तो कोई मारपीट की गयी और ना ही माता के साथ मारपीट की गयी। भीड़ में धक्का लग गया था। भीड़ में से किसी ने धक्का दे दिया जिससे उसको चोटें आ गई थी। मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-4 व प्रदर्श क-5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी चोटें साधारण थी। वादी के कथानासुनार घटना स्थल पर गाँव के बहुत से लोग फिरोज खाँ, मान खाँ, देशपाल, विजय कुमारी, धर्मेन्द्र, रामप्रसाद आदि लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना को देखा व बीच-बचाव किया, किन्तु वादी की बात का समर्थन के लिए कोई भी साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने प्रार्थना पत्र पर केवल हस्ताक्षर करने का कथन किया है, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को उस न तो पढकर सुनाया गया और ना ही समझाया गया। पी०डब्लू० 2 ने भी घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। परस्पर विरोधाभासी बयान दिये हैं। संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन साक्षियों के बयानों में विरोधाभासी तथ्य विद्यमान हैं। कथित चोटिल पी०डब्लू० 1 के द्वारा विवेचक को कोई बयान दिये जाने से इंकार किया है और कथित चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू० 2 ने घटना के समर्थन में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे अभियोजन कथानक को बल मिल सके। अभियोजन कथानक में संदेह के बादल विद्यमान हैं। स्पष्ट रूप से साक्ष्य में आया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ न तो कोई मारपीट की गयी और ना ही कोई गाली-गलौज की गयी और ना ही कोई लूट-पाट की गयी। जाति सूचक शब्दों की कोई गालियां भी नहीं दी गयी। इसी प्रकार वादी की माँ को भी चोटें अभियुक्तगण द्वारा नहीं कारित की गयी हैं और ना ही अभियुक्तगण ने वादी के घर में घुसकर किसी लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये

आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण सं० 17/2013, राज्य बनाम कल्लू आदि में अभियुक्तगण कल्लू खाँ, लल्ला बाबू, महमूद खाँ एवं चमन बाबू को लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1) (X), एस०सी०/ एस०टी० एक्ट से उपरोक्त कारणों के आलोक में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण की जमानतें और बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 437A द०प्र०सं० के अनुपालन में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 20.10.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।
 ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 20.10.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।
 ID NO UP6193